24 घंटे में बदले जाएं खराब ट्रांसफार्मर : नीतीश

ग्रामीण विद्युतीकरण के डीपीआर में उन बसावटों को भी शामिल करें जो नहीं जुड़ पाए हैं

जागरण ब्यूरो, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने के चौबीस घंटे के भीतर बदले जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह लक्ष्य 72 घंटे का होना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने विद्युत खर्च एवं उत्पादन को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाने के लिए संचरण नेटवर्क बनाये जाने की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जहां आंशिक रूप से विद्युतीकरण हुआ है उन्हें पूर्णरुपेण विद्युतीकृत किया जाये। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जो डीपीआर बनाया जा रहा है उसे विद्युत विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए। जो गांव और बसावट डीपीआर में शामिल नहीं हो पाये हैं उन्हें भी डीपीआर में शामिल किया जाये। बिजली की स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति में बाधा तथा बिजली से संबंधित अन्य शिकायतों के संबंध में फीडबैक लेने के लिए बिजली बोर्ड में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाये। मुख्यमंत्री ने जर्जर बिजली के तारों को बदले जाने की कार्रवाई का भी जायजा लिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव संदीप पौंड्रिक व विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष पीके राय भी मौजूद थे।